14.11.18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील प्रतिवादी
हाजिर नहीं। वकील प्रतिवादी को बार-2 आवाज लगाई
गई। बार-2 ~~वकील प्रति~~ आवाज लगाने के बाद भी
वकील प्रतिवादी हाजिर नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस प्रा०प० ऐतराज
मौका रिपोर्ट पर एकतरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान
वकील वादी ने कथन किया कि तहसीलदार उदयपुरवाटी से
प्राप्त मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर
प्रकरण में अन्तिम निर्णय व अन्तिम डिक्री जारी करने का
आदेश फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर
मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन
पश्चात पाया कि प्रस्तुत वाद पत्र पुन न० 182/97 पुनः
दर्ज उ० न० 114/02, 22/2012 तथा 116/2002 दोनों ही एक ही नेचर, एक ही जमीन तथा
राजस्व न्यायालय के उ० न०
इनके पक्षकार भी एक जैसे ही हैं। चूंकि राजस्व न्यायालय
के उ० न० 116/2002 का निर्णय दिनांक 24.8.2004 को किया
जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। अतः
राजस्व न्यायालय के उ० न० 116/2002 में जारी प्राथमिक डिक्री
को ही इस प्रकरण उ० न० 182/97 पुनः दर्ज 114/02, 22/12
की प्राथमिक डिक्री मानकर तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी से
प्राप्त मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.7.18 को
स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री व अन्तिम निर्णय
जारी करने का आदेश दिया जाता है। अन्तिम निर्णय व
अन्तिम डिक्री अलग से जारी किया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। नकल सैट करवाना जाकर शामिल पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)